दो बार इंटरव्यू में चूके, तीसरे प्रयास में अभिषेक सरोहा ने किया प्रदेश में टॉप

गोहाना (सोनीपत)। मेहनत, धैर्य और परिवार के निरंतर प्रोत्साहन ने गोहाना के सेक्टर-7 निवासी अभिषेक सरोहा को बड़ी सफलता दिलाई है। हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) परीक्षा में अभिषेक ने तीसरे प्रयास में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

पहले प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी थी और घर पर रहकर ही तैयारी जारी रखी। लगातार दो प्रयासों में मुख्य परीक्षा पास करने के बावजूद इंटरव्यू में अपेक्षित अंक नहीं मिलने से अंतिम चयन नहीं हो पाया था। उसके बावजूद परिवार के हौसले और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने तीसरे प्रयास में बाजी मार ली।

अभिषेक के चाचा तेजेंद्र सरोहा ने बताया कि अभिषेक ने दोनों शुरुआती प्रयासों में मुख्य परीक्षा पास की थी लेकिन इंटरव्यू में कम अंक मिलने से अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके। अभिषेक ने कोचिंग छोड़ने के बाद घर पर रहकर नियमित पढ़ाई की। उन्होंने अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखी और कमजोर पक्षों पर विशेष ध्यान दिया। अभिषेक के पिता जगबीर सरोहा शहर के निजी स्कूल आरके हिंदू में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मां गृहिणी हैं। बड़े भाई विनय सरोहा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में जूनियर इंजीनियर हैं। संवाद

कुलदीप ने रोजाना छह से आठ घंटे पढ़कर हासिल की दूसरी रैंक

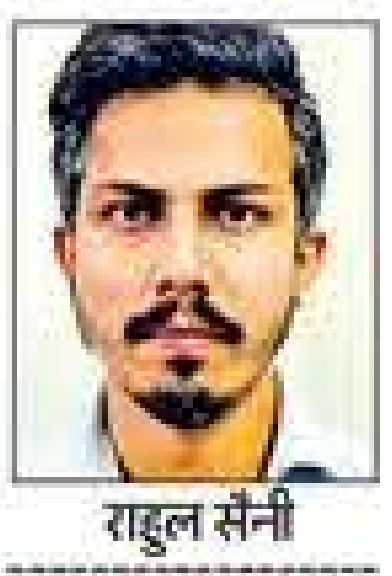
हिसार। गांव चिड़ौद निवासी कुलदीप ने हरियाणा लोकसेवा आयोग की परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया है। अमर उजाला से बातचीत में कुलदीप ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। खुद के ही नोट्स बनाकर रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई की। यह सफलता दूसरे प्रयास में हासिल की है। 28 वर्षीय कुलदीप ने बताया कि पिता राजेंद्र श्योराण गांव में जमींदार हैं। माता निर्मला श्योराण गृहिणी हैं। फिलहाल परिवार हिसार के आजाद नगर में रहता है। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। कक्षा 12 तक की पढ़ाई हिसार के ओपी जिंदल स्कूल में हुई। इसके बाद गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से विधि की डिग्री हासिल की है। एलएलबी के बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर फोकस किया। कुलदीप ने बताया कि वह सिविल सर्विस के जरिए आम लोगों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे।


ईशा काला

ईशा ने बुआ से ली प्रेरणा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निराला नगर निवासी ईशा काला ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ईशा की बुआ आभा काला सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं। बुआ को देखकर ही ईशा ने हरियाणा में पहली बार परीक्षा दी और तीसरे स्थान पर रहीं। ईशा के पिता राजीव काला एक डेयरी कंपनी से सेवानिवृत्त हैं और मां रीता गृहिणी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और एलएलबी की पढ़ाई की। फिलहाल ईशा वकालत कर रही हैं।

छपरा के राहुल ने पूरा किया दादा का सपना


राहुल सैनी

कुरुक्षेत्र। गांव छपरा के राहुल सैनी ने आरबीआई में मैनेजर होते हुए रोज पांच घंटे पढ़ाई की और एचसीएस परीक्षा में प्रदेश भर में सातवां रैंक हासिल किया। वे पांच साल से यूपीएससी की तैयारी में जुटे थे और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे थे लेकिन नियुक्त नहीं हो पाए। उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी जारी रखी। राहुल सैनी के दादा स्व. हरकेश चौधरी का सपना था कि उनका पौत्र बड़ा अधिकारी बने और समाज व देश की सेवा करे। उन्होंने एचसीएस अधिकारी बनकर अपने दादा के उस सपने को पूरा कर दिया है।

इन पदों पर होगी नियुक्ति

पद नाम	पद संख्या
एचसीएस	24
उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी)	8
उत्पाद एवं कराधान अधिकारी(ईटीओ)	27
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक(डीएफएससी)	2
असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी(एआरसीएस)	3
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी(डीएफएसओ)	1
सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी(एईटीओ)	22
ट्रैफिक मैनेजर(टीएम)	7
ए श्रेणी के तहसीलदार	3
ए श्रेणी के नायब तहसीलदार	5

12 अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम बारिश के आसार

हिसार। बुधवार को सक्रिय हुआ पहला पश्चिमी विक्षोभ कमजोर साबित हुआ। इसके प्रभाव से वीरवार को प्रदेश के उत्तरी जिलों में केवल हल्के बादल छाए रहे। शुक्रवार को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर नौ और 10 अक्तूबर को रहेगा। इसके बाद 11 अक्तूबर को तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका प्रभाव 11-12 अक्तूबर तक बना रहेगा। इनके प्रभाव से 12 अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम में बदलाव और मध्यम बारिश के आसार हैं।

वीरवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में हिसार सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंचकूला में सबसे कम 29.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि दूसरे पश्चिमी विक्षोभ का असर 9-10 और तीसरे का 11-12 अक्तूबर तक रहेगा। इससे उत्तरी जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, पूर्वी करनाल, पानीपत, सोनीपत और मध्यवर्ती जिलों रोहतक, झज्जर व हांसी में बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। ब्यूरो

न्यूज डायरी

हांसी में कार से 1.56 करोड़ की नकदी बरामद


जांच के दौरान कार पर रखी बरामद डेढ़ करोड़ रुपये की राशि। पुलिस

हांसी। शहर में बुधवार रात जींद रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 1.56 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है। कार में सवार सिरसा के मोहित व सुरेंद्र और फतेहाबाद के साहब सिंह को हिरासत में ले लिया लेकिन वे नकदी के स्रोत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि जींद बाईपास पर लगे नाके पर सफेद रंग की एक कार को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें रखे दो बैगों से 1,56,49,500 रुपये बरामद हुए। कार सवार नकदी के स्रोत के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। नकदी को जब्त कर मालखाने में रखवा दिया है। संवाद

पीजीटी हिंदी मेवात कैडर का परिणाम संशोधित

चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) हिंदी, मेवात कैडर के पदों के लिए संशोधित परिणाम जारी किया है। यह परिणाम पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में घोषित किया है। संशोधित परिणाम में चार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। एक पद लंबित अदालती मामलों के कारण रिक्त रखा है। अनुशंसित अभ्यर्थियों की सिफारिशें अंतिम हैं। इनकी आवश्यक योग्यता, डिग्री और जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित विभाग करेगा। ब्यूरो

बैंक घोटाले में सुपरिंटेंडेंट प्रिंस को जमानत नहीं

पंचकूला। हरियाणा सरकार से जुड़े करीब 504 करोड़ रुपये के कथित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट प्रिंस शर्मा को अदालत से राहत नहीं मिली। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि जांच के दौरान सामने आए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। मामले की जांच जारी है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि प्रिंस शर्मा पंचायत निदेशालय में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। संवाद

पांच माह की गर्भवती पत्नी की गला घोंट हत्या, आरोपी काबू

पांच साल लिव-इन में रहने के बाद एक माह पहले की थी शादी

अमर उजाला ब्यूरो

रोहतक। गढ़ी मोहल्ले में घरेलू खर्च के लिए रुपये मांगने पर पति ने पांच माह की गर्भवती पत्नी सैंपल गांव निवासी सुषमा उर्फ लाली (31) की बुधवार रात गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के भाई प्रदीप की शिकायत पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर आरोपी झज्जर के गांव बिसाहन निवासी अनीस को गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि सुषमा बार-बार रुपयों के लिए दबाव बना रही थी। पैसे न देने पर मां-बहन की गालियां देने लगी। हालांकि, मृतका के भाई प्रदीप का कहना है कि आरोपी सौतेली बेटी योगिता (7) को साथ रखने से सुषमा से खफा था। पुलिस शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी।

पुलिस को दी शिकायत में मृतका के भाई प्रदीप ने आरोप लगाया कि उनकी चार बहनें हैं। सुषमा की शादी दिल्ली के मित्रराऊ गांव में हुई थी। 2018 में दोनों का तलाक हो गया था। बाद में सुषमा आरोपी अनीस के संपर्क में आ गई थी। दोनों पांच साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे।

पापा बोले - सो जा नहीं तो तुझे भी मार दूंगा


सुषमा उर्फ लाली पति अनीस के साथ। फाइल फोटो

सुषमा की बेटी योगिता ने बताया कि रात में उसके पिता बार-बार लघुशंका के लिए जा रहे थे। इसको लेकर मम्मी-पापा में झगड़ा हो गया। इसके बाद पापा ने मम्मी के साथ मारपीट की और फिर गला दबा दिया। फिर पापा मुझसे बोले - सो जा नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। इसके बाद पापा ने अपने घर फोन पर बताया कि उसने लाली को मार दिया है।

पुलिस ने आरोपी अनीस को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बुधवार रात साढ़े 11 बजे झगड़ा होने पर गला दबाकर हत्या कर दी। शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। - गौरव राजपुरोहित, एसपी रोहतक

हिसार में बुजुर्ग महिला मृत मिलीं, हत्या का अंदेशा

हिसार। मॉडल टाउन में घर में अकेली रह रहीं 74 वर्षीय संतोष गिरधर का शव वीरवार सुबह घर में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल हत्या की पुष्टि नहीं की है। थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। दहिमा निवासी तिलकराज ने बताया कि संतोष उसकी ताऊ की बेटी थीं और वह मकान में अकेली रहती थीं। उनके पति और दो बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। संतोष रोजाना पास के सनातन धर्म हनुमान मंदिर जाती थीं लेकिन दो दिन से मंदिर नहीं गई थीं। इस पर एक परिचित महिला वीरवार सुबह आठ बजे घर पहुंचीं। अंदर जाने पर संतोष मृत मिलीं। संवाद

कैमरे में दिखे तीन संदिग्ध

तिलकराज के अनुसार, संतोष के सिर पर चोट लगी हुई थी और घर की अलमारियों के ताले टूटे मिले। सीसीटीवी फुटेज में दो दिन पहले तीन संदिग्ध लोग घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। परिजनों ने इन्हीं के हत्या में शामिल होने की आशंका जताई है।

पोस्टमार्टम में शव पर किसी तरह के निशान नहीं मिले हैं। महिला के भाई प्रकाश के बयान पर रपट दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। - सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक

वेतन निर्धारण गलती को पेंशन की कमी बता नहीं उठा सकते दावा: कोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के कई वर्ष बाद वेतन निर्धारण की गलती को पेंशन की कमी बताकर नया विवाद नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि अधिकारों के प्रति लंबे समय तक चुप रहने के बाद पुराने दावे दोबारा जीवित नहीं किए जा सकते।

यह मामला हरियाणा के एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के प्रयोगशाला सहायक कुंदन लाल का है। वह 1971 में चपरासी नियुक्त हुए और बाद में प्रयोगशाला सहायक पद पर पदोन्नत हुए। 31 मई 2013 को सेवानिवृत्त हुए और दिसंबर 2013 में उनका पेंशन आदेश जारी हुआ।

1986 से अपने वेतनमान को 775-1025 रुपये के बजाय 950-1500 रुपये में निर्धारित करने की मांग की थी। कुंदन लाल ने 2008 के एक फैसले का हवाला दिया था जिसे राज्य सरकार ने 2009 में लागू किया था। उन्होंने 2014 में कानूनी नोटिस और 2017 में अभ्यावेदन भी दिया था। ब्यूरो

कब्जे के बाद भी बिल्डर से देरी का मुआवजा मांग सकेंगे खरीदार : कोर्ट

हाई कोर्ट ने किया तीन साल की अवधि में शिकायत का प्रावधान

अदालत से

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फ्लैट का कब्जा लेने या बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करने मात्र से बिल्डर से देरी के लिए ब्याज या मुआवजा मांगने का कानूनी अधिकार खत्म नहीं होता। रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम के तहत तय समय पर कब्जा नहीं देने पर बिल्डर की जिम्मेदारी अनिवार्य है।

उच्च न्यायालय ने यह फैसला गुरुग्राम के सेक्टर-102 स्थित एमार गुरुग्राम ग्रीन्स परियोजना से जुड़े 47 मामलों में सुनाया। अप्रैल 2013 के खरीदार समझौते के अनुसार 16 नवंबर 2016 तक कब्जा दिया जाना था। हालांकि, परियोजना को मई 2019 में अधिभोग प्रमाणपत्र मिला और दिसंबर 2019 में कब्जा सौंपा गया। बिक्री विलेख फरवरी 2020 में हुआ। एक खरीदार ने सितंबर 2022 में हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण में शिकायत की। उसे देरी के लिए 11 प्रतिशत ब्याज दिया गया था।

बिल्डर एमार इंडिया ने तर्क दिया था कि खरीदारों ने कब्जा लेने के बाद दावा करने का अधिकार खो दिया है।

उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बिल्डर की देनदारी को समाप्त या कम करने के लिए आपसी समझौते का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कब्जा लेने के बाद भी खरीदार वैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो

शिकायत का समय तय नहीं

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खरीदार किसी भी समय शिकायत नहीं कर सकता। रियल एस्टेट कानून में ऐसी शिकायत के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। सामान्य तौर पर कब्जा मिलने के तीन वर्ष के भीतर शिकायत करना उचित अवधि माना जाएगा। इसमें 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की कोविड अवधि को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार गणना से बाहर रखा जाएगा।

आंशिक भुगतान से राहत नहीं

अदालत ने यह भी कहा कि आंशिक भुगतान से बिल्डर की वैधानिक देनदारी खत्म नहीं होती। कुछ मामलों में बिल्डर ने 40 लाख रुपये से अधिक की देनदारी के दावे के मुकाबले केवल पांच-छह लाख रुपये का भुगतान किया था। केवल इतना भुगतान कर देने से वैधानिक देनदारी खत्म नहीं हो जाती। वह तभी खत्म होगी जब खरीदार ने स्पष्ट रूप से लिखित में पूर्ण और अंतिम समझौता किया हो।

पति पंजाब में तैनात तो भी तबादले में मिलेगा दंपती लाभ : हाई कोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति के पंजाब में तैनात होने पर भी हरियाणा की महिला कर्मचारी को दंपती मामले के तहत दस अतिरिक्त मेरिट अंक से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हरियाणा के कोटे पर कार्यरत कर्मचारी का मूल कैडर हरियाणा सरकार का ही रहता है। केवल तैनाती का स्थान पंजाब होने से कर्मचारी का सेवा संबंध नहीं बदल जाता। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 12 जुलाई 2018 को हुई थी और वह फतेहाबाद के राजकीय कॉलेज में तैनात थी। हरियाणा सरकार ने 25 जून को मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 अधिसूचित की थी। इस नीति में दंपती मामले के तहत दस अतिरिक्त मेरिट अंक देने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता के पति बीबीएमबी में हरियाणा के कोटे वाले पद पर नंगल में तैनात हैं। ब्यूरो

हीमोफीलिया की दवाओं पर सरकार से हाई कोर्ट ने मांगा स्पष्ट शपथपत्र

चंडीगढ़। हरियाणा में 900 से अधिक हीमोफीलिया मरीजों के इलाज में दवाओं की उपलब्धता को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर स्पष्ट शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सरकार ने मौखिक दावा किया था कि सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। हाई कोर्ट ने मौखिक दावे को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार के लिए जरूरी सभी दवाओं और उपचार सामग्री की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पलवल निवासी विकास शर्मा ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि एंटी-हीमोफीलिया दवा की एक खुराक की कीमत करीब 12 हजार रुपये है। यह दवा प्रदेश के कई जिला अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। गरीब मरीजों के लिए बाजार से लगातार इतनी महंगी दवा खरीदना मुश्किल है। ब्यूरो

सोनिया और संजीव की समयपूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

हिसार। रेलूराम हत्याकांड के दोषी सोनिया और संजीव की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने और दोषियों की रिहाई से जुड़े इस मामले पर गंभीर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्षमाशील स्वभाव के कारण देश आज गंभीर अपराधों का सामना कर रहा है और इस रवैये की भी कहीं न कहीं सीमा तय होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों की ओर से दायर याचिकाओं में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार करने और उन्हें अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया था। ब्यूरो

चार हजार रिश्वत लेता होमगार्ड काबू

नूंह। पलवल से नूंह और नूंह से पलवल तबादला करवाने के नाम पर सात हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भिवानी ने नूंह पुलिस लाइन में कार्रवाई की है। टीम ने चार हजार रिश्वत लेते हुए गृह रक्षक (होमगार्ड) अनीश को रंगे हाथों दबोचा।

मामले में उपनिरीक्षक विक्रम को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक निरीक्षक से भी पूछताछ की जानकारी सामने आई है। एक गृह रक्षक ने पलवल से नूंह तबादला करवाने के लिए संपर्क किया था। इसके लिए उससे कुल सात हजार रुपये मांगे गए। शिकायतकर्ता तीन हजार रुपये पहले ही दे चुका था। इसके बाद उससे बाकी के रुपये मांगे गए। वहीं, एसीबी भिवानी ने शिकायत की पुष्टि के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

भिवानी के प्रभारी निरीक्षक जगजीत सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता को बाकी के चार हजार रुपये देकर आरोपियों के पास भेजा गया। नूंह पुलिस लाइन में शिकायतकर्ता ने जैसे ही आरोपी को पैसे दिए तो पहले से तैयार एसीबी टीम ने गृह रक्षक अनीश को पकड़कर उससे रिश्वत की रकम बरामद कर ली। संवाद

पीजीटी बनने को 70 शिक्षकों ने एक पद का डिमोशन लिया

ईएसएचएम से एक पद नीचे आकर टीजीटी बने, एक वेतन वृद्धि छोड़नी होगी

कुलदीप शुक्ला

चंडीगढ़। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) बनने के लिए प्रदेश के 70 एलीमेंट्री स्कूल हेडमास्टर (ईएसएचएम) ने स्वेच्छा से एक पद का डिमोशन लेकर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) बन गए हैं। अब सभी शिक्षक ईएसएचएम से अपने मूल कैडर टीजीटी व क्लासिकल एंड वर्नाक्यूलर (सीएंडवी) पद पर आ गए।

इनके लिए टीजीटी से सीधा पीजीटी बनने का रास्ता खुल गया है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं।

ये शिक्षक पहले टीजीटी/सीएंडवी पद पर थे और प्रमोशन पाने के बाद ईएसएचएम यानी एलीमेंट्री स्कूल हेडमास्टर बने थे। अब ये शिक्षक ईएसएचएम से एक और प्रमोशन पाने के बाद हेडमास्टर बनते लेकिन ये शिक्षक हेडमास्टर बनने के बजाय पीजीटी बनना चाहते हैं। इसलिए एक पद नीचे आकर पहले टीजीटी बन गए।

इस विकल्प की कीमत भी शिक्षकों को चुकानी होगी। ईएसएचएम से टीजीटी पद पर लौटने पर एक वेतन वृद्धि छोड़नी होगी। डिमोशन के बाद जिस पद पर शिक्षक जाएंगे उन्हें उसी पद पर कंफर्म किया जाएगा। यानी वे दोबारा ईएसएचएम पद पर नहीं रहेंगे और टीजीटी/सीएंडवी के रूप में आगे की पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल होंगे।

इससे पूर्व सितंबर 2026 में हेडमास्टर बनने की इच्छा रखने वाले प्रदेशभर के 70 शिक्षक पीजीटी से टीजीटी बन चुके हैं ताकि वे शिक्षक भविष्य में एलीमेंट्री स्कूल हेडमास्टर के जरिये हेडमास्टर बन सकें।

टीजीटी से पीजीटी पदोन्नति का रास्ता खुलेगा

नूंह के सबसे ज्यादा शिक्षक टीजीटी बने

नूंह से सबसे ज्यादा 13 शिक्षक डिमोट होकर टीजीटी बने हैं। सोनीपत 8, गुरुग्राम 7, सिरसा 5 और हिसार 4 शिक्षक हैं। छह जिलों से 3-3, पांच जिलों से 2-2 और पांच जिलों से एक-एक शिक्षक शामिल हैं। इनमें सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान के शिक्षक शामिल हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय : दुर्गा माता मंदिर कॉम्पलैक्स, पुराना जीटी रोड, करनाल (हरियाणा)

परिशिष्ट-IV-ए, [नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान को देखें] अचल संपतियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) व 9(1) के प्रावधान सहित पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास रहन/प्रभारित अधोनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा जोकि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, इसकी बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" एवं "जो भी है वहां है आधार" पर निम्न निर्दिष्ट ऋणकर्ताओं व गारंटरों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की देय राशि की वसूली के लिए 17.11.2026 को आयोजित की जाएगी। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य जानकारी निम्न उल्लेखितानुसार है।

अचल सम्पत्ति का ब्यौरा (दिनांक 17.11.2026 को आयोजित की जाने हेतु सूचीबद्ध ई-नीलामी -30 दिन की सूचना)

शाखा/ऋणकर्ता/गारंटर/रेहनकर्ता का नाम	शाखा प्रमुख/ और प्राधिकृत अधिकारी	संपत्ति मालिक का नाम/संपत्ति का ब्यौरा	मांग सूचना की तिथि एवं देय राशि (रु. लाखों में)	तिथि एवं कब्जे का प्रकार	1.आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी	बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि
1 शाखा कार्यालय : कैथल श्री मेजर सिंह पुत्र श्री रामफल (ऋणकर्ता) श्रीमती मीतो देवी पत्नी श्री मेजर सिंह (ऋणकर्ता) एवं श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री बीर सिंह (गारंटर)	श्री जोरा सिंह MOB-8930233383 श्री राहुल गुप्ता MOB-8930501783	प्लॉट सं.-118, जनकपुर कलोनी, करनाल रोड, कैथल, बिक्री विलेख सं.-3655 दिनांक-01.09.2015 माप 27.77 वर्ग गज। सीमाएं इस प्रकार है : उत्तर-प्लॉट सं.-117, दक्षिण-प्लॉट सं.-119, पूर्व-अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम-30 फुट सड़क, सम्पत्ति का मालिक-श्री मेजर सिंह पुत्र श्री रामफल।	04.07.2017 Rs.22,09,955/- + भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	20.02.2025 (भौतिक कब्जा)	Rs. 26.95 Lakh Rs. 2,69,500/-	Rs. 20,000/-	17.11.2026
2 शाखा कार्यालय : कैथल श्री मेजर सिंह पुत्र श्री रामफल (ऋणकर्ता) श्रीमती मीतो देवी पत्नी श्री मेजर सिंह (ऋणकर्ता) एवं श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री बीर सिंह (गारंटर)	श्री जोरा सिंह MOB-8930233383 श्री राहुल गुप्ता MOB-8930501783	प्लॉट सं.-106, जनकपुर कलोनी, करनाल रोड, कैथल, बिक्री विलेख सं.-3654 दिनांक-01.09.2015 माप 27.77 वर्ग गज। सीमाएं इस प्रकार है : उत्तर-प्लॉट सं.-105, दक्षिण-प्लॉट सं.-107, पूर्व-प्लॉट सं.-189, पश्चिम-30 फुट सड़क, सम्पत्ति का मालिक-मीतो देवी पत्नी श्री मेजर सिंह।	04.07.2017 Rs.22,09,955/- + भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	20.02.2025 (भौतिक कब्जा)	Rs. 17.50 Lakh Rs. 1,75,000/-	Rs. 10,000/-	17.11.2026
3 शाखा कार्यालय : पानीपत श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री किशन चंद एवं श्रीमती सबीता पत्नी श्री रविन्दर कुमार (ऋणकर्ता)	श्री आकाश सक्सेना MOB-8295763382	आवासीय सम्पत्ति अर्थात-फ्लैट सं.-803, ब्लॉक-I, रॉयल मेंशन, पीरमुछल्ला, जीरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब। *नोट : नीलामी त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर आयोजित की जाएगी, क्योंकि यह देखा गया है कि बिल्डर द्वारा ऋणकर्ता के पक्ष में अभी तक कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया।	17.07.2025 एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित 31.07.2025 को Rs.22,16,812.66/- + भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	11.09.2026 (भौतिक कब्जा)	Rs. 56.25 Lakh Rs. 5,62,500/-	Rs. 50,000/-	17.11.2026

ईएमडी व दस्तावेजों को जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय (ऑनलाईन) नीलामी वाले दिन अर्थात 17.11.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक होगी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 17.11.2026 को समय अप. 02.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ
बोलीदाता वेबसाईट https://baanknet.com पर पंजीकृत करेंगे और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे तथा सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर के जरिये (https://baanknet.com से चालान जनरेशन के बाद) ग्लोबल ईएमडी वालेट में जमा की जाएगी।
यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता "https://baanknet.com" के जरिये संचालित की जाएगी।

दिनांक : 07.10.2026 स्थानः करनाल प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

HORTICULTURE DEPARTMENT HARYANA
TECHNOLOGY DEMONSTRATION CENTRE
SEWAKHERI PANIPAT
tdc.panipat@gmail.com
www.hortharyana.gov.in
Govt of Haryana

संबंधित को सूचनार्थ

संबंधित को सूचित किया जाता है कि तकनीकी प्रदर्शनी केन्द्र सेवाखेडी, पानीपत पर वर्ष 2026-27 में आलू बीज की बिजाई का कार्य किया जाना है। जिसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे जिसके लिए खुले बाजार से कुटेशन आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य	रेट प्रति एकड
01.	हैरो का कार्य	
02	कल्टीवेटर का कार्य	
03	सुहागा का कार्य	
04	रोटावेटर का कार्य	
05	पलांटर का कार्य	

उपरोक्त कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार अपने रेट की कोटेशन दिनांक 14.10.2026 तक उद्यान विभाग, तकनीकी प्रदर्शनी केन्द्र सेवाखेडी पानीपत पर दस्ती तौर पर जमा करवाएं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए (डॉ० महावीर शर्मा, एस०एम०एस० मो० न० 8708808453 एवं श्री साहिल, बी०एच०सी मो० न0 9877766721) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

- हस्ता-
एस०एम०एस०,
टी०डी०सी०, सेवाखेडी, पानीपत।

PRDH:- 1149/11/1234/2027/50033/1/6 Dt. 08/10/2026

कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

यूनिट नं. / संपत्ति आई डी नं. 1KBN23A6, 1KBNJH81 /373C12U121U214 जो बलाचौर चौक कालोनी में स्थित है। नगर निगम यमुनानगर के मुहकर रिकॉर्ड में प्रकाश शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार लखपत राये की मृत्यु 01-02-2000 को व लखपत राये की पत्नी दयावती की मृत्यु 26.09.2019 को व नीलम रानी शर्मा पत्नी कुलभूषण शर्मा की मृत्यु 16.04.2001 को व कुलभूषण शर्मा की मृत्यु 21.02.2016 हो चुकी है। अब इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान सर्व विनोद कुमार शर्मा पुत्र लखपत राये शर्मा व संदीप शर्मा, निशांत शर्मा पुत्र / पुत्री कुलभूषण शर्मा ने दीड प्रलेख नं.966/8-7-68, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वारसान रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर मुहकर रिकार्ड में अपना नाम इंद्राज करने बारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार मुहकर रिकार्ड में इंद्राज करने/ मलकियत बदलने बारे कोई एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

PROCALAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20 C.P.C.
IN THE COURT OF Dr. MOHIT BANSAL, ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE FAMILY COURT GHUMARWIN, DISTRICT BILASPUR, H.P 174021
In the matter of :-
HMA No. 18-3 of 2026
Computer No. 18/2026
Date of hearing:- 20.11.2026
Vikas Kumar S/O Sh. Ramesh Chand R/O Village Bharari PO Lehri Sarail Pargna Ajmerpur Sub Tehsil Bharari Tehsil Ghumarwin District Bilaspur H.P
Versus
Shilpa Rani W/O Sh. Vikas Kumar S/O Sh. Ramesh Chand R/O Village Bharari PO Lehri Sarail Pargna Ajmerpur Sub Tehsil Bharari Tehsil Ghumarwin District Bilaspur H.P A/P residing with her father Sh. Shamsher Singh At Village and Post Office Sithana Tehsil and District Panipat Haryana.
Petition U/s 13-1(ia)(ib) HMA.
To
Shilpa Rani W/O Sh. Vikas Kumar S/O Sh. Ramesh Chand R/O Village Bharari PO Lehri Sarail Pargna Ajmerpur Sub Tehsil Bharari Tehsil Ghumarwin District Bilaspur H.P A/P residing with her father Sh. Shamsher Singh At Village and Post Office Sithana Tehsil and District Panipat Haryana.
Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the Court that above named respondent Shilpa Rani W/O Sh. Vikas Kumar S/O Sh. Ramesh Chand R/O Village Bharari PO Lehri Sarail Pargna Ajmerpur Sub Tehsil Bharari Tehsil Ghumarwin District Bilaspur H.P A/P residing with her father Sh. Shamsher Singh At Village and Post Office Sithana Tehsil and District Panipat Haryana cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against the respondent to appear in the Court on 20.11.2026 at 10A.M. to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which ex-parte proceedings will be taken against the respondent.
Given under my hand and seal of the Court this 02th day of October, 2026.
Sd/-
(Dr. Mohit Bansal) Additional Principal Judge Family Court, Ghumarwin Distt. Bilaspur, H.P.

कार्यालय नगरनिगम यमुनानगर जगाधरी

यूनिट न0 / सम्पत्ति आई. डी. 1K786O47 (279C 268U31) जो गुरु तेग बहादुर नगर में स्थित है। नगर निगम के मुहकर रिकॉर्ड में दविन्द्र पाल सिंह पुत्र जसबीर सिंह के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार जसबीर सिंह की मृत्यु 09.11.2023 को हो चुकी है। अब इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान मनमोहन कौर, दविन्द्रपाल सिंह, मनप्रीत कौर पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व. जसबीर सिंह ने वसीयत/वारसान रिपोर्ट के आधार पर गृह कर रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज करने बारे आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार मुहकर रिकॉर्ड में इन्द्राज करने / मलकियत बदलने बारे कोई एतराज हो तो वह इस प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर जगाधरी।

कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

यूनिट नं. / संपत्ति आई डी नं. 1KHK6MD9 / 280C1087U1 जो ओल्ड हरिया विष्णु नगर में स्थित है। नगर निगम यमुनानगर के मुहकर रिकॉर्ड में बलराम शर्मा पुत्र करम चन्द शर्मा के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार बलराम शर्मा की मृत्यु 05-02-2023 को हो चुकी है। अब इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान सर्व चन्द कान्ता शर्मा, पंकज शर्मा, रोहिणी शर्मा ने वसीयत/ वारसान रिपोर्ट के आधार पर मुहकर रिकार्ड में अपना नाम इंद्राज करने बारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार मुहकर रिकार्ड में इंद्राज करने/ मलकियत बदलने बारे कोई एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

कार्यालय नगरनिगम यमुनानगर जगाधरी

यूनिट न0 / सम्पत्ति आई. डी. 1KO19VO1 जो ओल्ड हरिया पट्टी मौहल्ला में स्थित है। नगर निगम यमुनानगर के मुहकर रिकॉर्ड में तेजेन्द्र कौर के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार जतिन्द्र कौर की मृत्यु दिनांक 05.11.2024 को हो चुकी है। इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान अरविन्द कौर ने वसीयत/वारसान के आधार पर मुहकर रिकॉर्ड में अपना नाम इन्द्राज करने बारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार मुहकर रिकॉर्ड में इन्द्राज करने / मलकियत बदलने बारे कोई एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अन्दर नगरनिगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर जगाधरी।